उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–69/2021

सखीचन्द बेदिया बनाम् नन्दकिशोर महतो वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.11-2022	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी सखीचन्द बेदिया, पिता–स्व० चमन बेदिया, ग्राम–छोटकीपोना, पो०–बडकीपोना, थाना–रजरप्पा, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–10/2009–10/14/11/18/2013–14 सखीचन्द बेदिया बनाम् नन्दकिशोर महतो वगै० में दिनांक–21.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–छोटकीपोना, के खाता न०–65 प्लॉट न०–902 रकवा–0.11 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–छोटकीपोना, के थाना संख्या–122, अंतर्गत खाता न०–65 प्लॉट न०–902 रकवा–0.11 ए० भूमि सर्वे खतियान में सीताराम बेदिया वल्द कली बेदिया के नाम दर्ज है, एवं पंजी–II के पृष्ठ संख्या–148/I पर सीताराम बेदिया के नाम से जमाबंदी कायम है। अपीलार्थी के द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है विपक्षी उक्त भूमि को खतियानी रैयत द्वारा निष्पादित सादा पट्टा दिनांक–26.02.1948 के आधार पर प्रश्नगत भूमि को प्राप्त करने का दावा करते है। लेकिन विपक्षी के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर लगभग 50–55 वर्षो से विपक्षीगण का मकान बना हुआ है। विपक्षी के द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस समय प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण हुआ उस समय बेदिया जाति पिछडे जाति में आते थे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता , रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–10/2009–10 में दिनांक–21.03.2011 को आदेश पारित किया गया कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि पर 12 वर्ष पूर्व से दखलकार है, अतः यह वाद कालबधित है। अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा इस	

न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या–14/2011 अपील दायर किया गया जिसमें सुनवाई करते हुए माना गया कि विपक्षी द्वारा जो सादा पटटा के आधार पर भूमि प्राप्त करने का दावा करते है। वह सादा पटटा ही बैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। तत्कालीन माननीय उपायुक्त के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ के आदेश को निरस्त करते हुए पुनः जाँच कर प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीगण का मकान कितने वर्ष पुराना है, से संबंधित जाँच करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) में निहित प्रावधानों के तहत नियम संगत आदेश पारित करने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–10/2009–10/ 14/11/18/2013–14 में दिनांक–21.10.2021 को पुनः आदेश पारित किया गया है। जिसमें पूर्व में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–21.03.2011 को पारित आदेश को यथावत् रखा गया है। जिसके विरूद्ध में अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश से स्पष्ट है कि मौजा–छोटकीपोना के खाता न०–65 प्लॉट न०–902 रकवा–0.11 ए० भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिसकी जमाबंदी आदिवासी रैयत के नाम से कायम है। दुसरी तरफ विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि को सादा पट्टा से प्राप्त करने का दावा करते है, जो कि सादा पट्टा को वैध दस्तावेज नही माना जाता है। विपक्षी के नाम से जमाबंदी भी कायम नही है विपक्षी का केवल यह कहना है कि उक्त भूमि पर लगभग 50–55 वर्षो से मकान बना कर रह रहा है। अर्थात् आदिवासी भूमि पर नजायज तरीके से गैर आदिवासी के द्वारा कब्जा किया गया है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 का उलंघन प्रतीत होता है। क्योंकि आदिवासी भूमि की बिना वैध हस्तांतरण अथवा बिना अनुमति के गैर आदिवासी के द्वारा कब्जा करना न्याय संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–10/2009–10/14/11/18/2013–14 में सखीचंद बेदिया बनाम् नन्दकिशोर महतो वगै० में दिनांक–21.10.2021 को पारित आदेश का Set-aside करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.12.08 13:54:03 +05:30
Location: 192.168.0.8